न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2017RAAJu223RTA062 Santoksingh Vs Smt Ramkanwari n ors
2017RAAJu223RTA108 Smt Ramkanwari Vs Santoksingh n ors

(1) 2017RAAJu223RTA062 Santoksingh Vs Smt Ramkanwari n ors
संतोकसिंह पुत्र भंवरलाल माली
निवासी चोलावता बेरा, चैनपुरा, मण्डोर
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती रामकंवरी पुत्री भंवरलाल गहलोत (माली)
2. धन्नाराम पुत्र रामबक्स गहलोत (माली)
3. श्रीमती पुष्पा गहलोत पत्नी सांवलराम गहलोत (माली)
   निवासीगण ग्राम चैनपुरा, मण्डोर, जिला जोधपुर
4. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 29 मई 2017 राजस्व वाद संख्या 153/2017 श्रीमती रामकंवरी बनाम संतोकसिंह व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री प्रवीण दयाल देव, अधिक्ता-रेस्पो, संख्या एक
श्री शैलेन्द्र चौहान, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो व तीन.
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार

(2) 2017RAAJu223RTA108 Santoksingh Vs Smt Ramkanwari n ors
श्रीमती रामकंवरी पुत्री भंवरलाल गहलोत (माली)
निवासी चैनपुरा, मण्डोर
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब ना म

1. संतोकसिंह पुत्र भंवरलाल गहलोत (माली)
   निवासी चोलावता बेरा, चैनपुरा मण्डोर
   जोधपुर
2. धन्नाराम पुत्र रांमबक्स गहलोत (माली)
3. श्रीमती पुष्पा गहलोत पत्नी सांवलराम गहलोत (माली)
   निवासीगण ग्राम चैनपुरा, मण्डोर, जिला जोधपुर
4. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 29 मई 2017 राजस्व वाद संख्या 153/2017 श्रीमती रामकंवरी बनाम संतोकसिंह व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री प्रवीण दयाल देव, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री शैलेन्द्र चौहान, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो व तीन
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 11 फर., 2020

विद्वान सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) जोधपुर (कैम्प कोर्ट खोखरिया) द्वारा राजस्व वाद संख्या 153/2017 श्रीमती रामकंवरी बनाम संतोकसिंह व अन्य में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 मई 2017 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 15 जून 2017 एवं 08 दिसम्बर 2017 को प्रतिवादी-अपीलाण्ट संतोकसिंह पुत्र भंवरलाल अपील संख्या 2017RAAJu223RTA062 Santoksingh Vs Smt Ramkanwari n ors तथा वादिनी श्रीमती रामकंवरी द्वारा 2017RAAJu223RTA108 Smt Ramkanwari Vs Santok Sing n ors अनवानी अपीलें पेश की गयी है।

वादिनी श्रीमती रामकंवर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर 2017 को पेश अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया है, जिसके संबंध में अदालत हाजा का आदेश सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की जाकर कार्यवाही गयी।

उक्त दोनों अपीलों से संबंधित अपीलाधीन निर्णय, पक्षकारान, वादग्रस्त आराजियात इत्यादि सभी एक समान होने के कारण इनका निस्तारण उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सहमति से इस निर्णय द्वारा एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित पत्रावली में संलग्न रखी जावें।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी श्रीमती रामकंवरी पुत्री भंवरलाल गहलोत (माली) ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत एक वाराजस्व वाद ग्राम गुजरावादखुर्द स्थित आराजी खसरा संख्या 39 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा बारानी प्रथम के संबंध में कि उक्त आराजी के पूर्व खातेदार उसके दादा रामबक्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के तीन पुत्र धन्नाराम, भंवरलाल व सांवलराम थे, इस आधार पर वादिनी के पिता भंवरलाल का वादग्रस्त आराजी में रामबक्स के फौत होने पर एक-तिहाई हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या एक भंवरलाल का दत्तकपुत्र है, इस आधार पर वादिनी श्रीमती रामकवंरी तथा प्रतिवादी संख्या एक, दोनों का वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/6 - 1/6 हिस्सा बनता है। मगर प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह ने वादिनी के पिता भंवरलाल की बीमार अवस्था में उन्हें ले जाकर उक्त पुश्तैनी भूमि को हडपने एवं वादिनी को उसके हक-हिस्से से महरूम रखने की नीयत से भंवरलाल से अपने हक में वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे के एक-तिहाई हिस्से बाबत एक पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 08 मार्च 2006 को निष्पादित करवा लिया। अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर उसे उसके 1/6 हिस्से की खातेदार घोषित किया जावे और तदनुसार उसका हिस्सा खसरा संख्या 39 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा में से विधिवत विभाजन कर अलग दिलवाया जावे और उसके संबंध में स्थायी स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29 मई 2017 को वादिनी श्रीमती रामकंवरी का दावा स्वीकार करते हुए उसे वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 39 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा के 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया। मगर साथ ही पंजीबद्ध बेचाननामा को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होना वर्णित करते हुए इस हेतु सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने के लिए वादिनी को स्वतन्त्र रखते हुए समुचित कार्यवाही के बाद ही राजस्व अभिलेख में परिवर्तन के आदेश दिये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के खिलाफ ये दोनों अपीलें पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीके अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीको वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में बिना सम्मन और सुनवाई के प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीके खिलाफ अपीलाधीन निर्णय गलत तरीके से पारित किया गया, जिसकी समुचित समय में प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीको कोई जानकारी नहीं हो पायी। प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीके पिता भंवरलाल गहलोत ने खसरा संख्या 39 में से अपना एक-तिहाई हिस्सा दिनांक 08 मार्च 2006 को प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीके पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये बेचान कर दिया, जिसकी जानकारी वादिनी श्रीमती रामकंवरी को भी थी, मगर उसने उक्त बेचान को कोई चुनौती नहीं दी। अपीलाधीन निर्णय में एक ओर जहाँ वादिनी को वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि जब तक बेचाननामा सक्षम न्यायालय से शून्य एवं प्रभावहीन घोषित नहीं हेा जाता, राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय अपने-आप में विरोधाभासी है। वस्तुतः जब तक बेचाननामा विधिवत सक्षम सिविल न्यायालय से शून्य एवं प्रभावहीन घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक वादिनी किसी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्रकार की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं थी। अपनी बहस में प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीकी ओर से अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व अभियान कैम्प की तारीख 29 मई 2017 का नोटिस दिनांक 28 मई 2017 को ही प्राप्त हुआ, दिनांक 29 मई 2017 को प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीकैम्प में उपस्थित हुआ, आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर कराये और बताया कि पहले पेशी पर नहीं आया, इसलिए उसके खिलाफ निर्णय किया जाता है। तब प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीने निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की और आलौच्य अपील पेश की है।

साथ ही यह भी बताया कि विक्रय विलेख पर स्वयं वादिनी की साख है। अतः वह एस्टोप्ड बाई लॉ है। अधिवक्ता-प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि बंटवाडा हो चुका है और बंटवारा होने पर सम्पत्ति व्यक्तिगत हो जाती है, ऐसी स्थिति में भंवरलाल द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख एब-इनिशियो वॉइड नहीं होता, अपितु ऐसे दस्तावेज को विधिवत सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोई कर वोइड घोषित कराना आवश्यक हो जाता है तथा ऐसे मामलों में समय सीमा अधिनियम के प्रावधान भी लागू होते है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-प्रतिवादी ने 2008 डीएनजे (एससी) 364, 1993 आरआरडी 94, 1993 आरआरडी 505 एंव 1993 आरआरडी 232 की नजीरें पेश की।

वादिनी श्रीमती रामकंवरी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी और कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में रामबक्स जी की खातेदारी भूमि थी, जो उनके देहान्त के बाद उनके तीन पुत्रों भंवरलाल, धन्नाराम व सांवलराम में विभक्त हुई,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह को वादिनी के पिता भंवरलाल ने दत्तक ग्रहण किया था, इस कारण भंवरलाल, (जिनका रामबक्स जी के पुत्र होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी मे एक तिहाई हिस्सा बनता है) के हिस्से की भूमि में वादिनी तथा प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल मालीका बराबर - बराबर हक-हिस्सा बनता है अर्थात खसरा संख्या 39 रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा में दोनों का 1/6 तथा 1/6 हिस्सा बनता है। उल्लेखनीय है कि वादिनी के पिता का देहान्त 01 अप्रेल 2005 के बाद हुआ है। उस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी को 1/6 हिस्से की खातेदार घोषित कर दिया। मगर वादिनी के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी के एक-तिहाई हिस्से का पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये बेचान किया जा चुका था। पंजीबद्ध विकय विलेख को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय को प्राप्त नहीं होना मानते हुए तथा राजस्व अभिलेख में इससे पूर्व किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं मानते हुए वादिनी को सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रखा। इसी संदर्भ में अधिवक्ता-वादिनी ने अपीलाधीन निर्णय में संशोधन का निवेदन करते हुए कथन किया कि वादिनी भंवरलाल की एकमात्र जायन्दा संतान है, जिसकी पुष्टि भंवरलाल के जीवित भाई और रामबक्स के जीवित पुत्र धनसिंह की साक्ष्य से होती है। सन् 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन हुआ, उन पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कर दिया गया। वादिनी को वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से बाबत खातेदार घोषित कर दिये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बावजूद राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करने से क्षेत्राधिकार नहीं होने का कहकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मतः नहीं होने से संशोधन किये जाने योग्य है।

मगर प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह ने वादिनी के पिता भंवरलाल की बीमार अवस्था में उन्हें ले जाकर उक्त पुश्तैनी भूमि को हडपने एवं वादिनी को उसके हक-हिस्से से महरूम रखने की नीयत से भंवरलाल से अपने हक में वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे के एक-तिहाई हिस्से बाबत एक पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 08 मार्च 2006 को निष्पादित करवा लिया। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है, और वादिनी के पिता को पुश्तैनी भूमि में प्राप्त समस्त एक तिहाई हिस्सा बेचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था, उनके द्वारा बेचान की गयी भूमि में वादिनी के हिस्से की भूमि भी सम्मिलित थी और वादिनी के हिस्से की सीमा तक किया गया बेचान प्रारम्भ से ही शून्य और प्रभावहीन था। अतः अपील स्वीकार की जाकर तदनुरूप अपीलाधीन निर्णय संशोधित किया जावे।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-वादिनी का कथन है कि वादिनी एक वृद्धा एवं बीमार महिला है और अधिकतर बीमार ही रहती है जिसे प्रायः अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने में दिक्कत रहती है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई सूचना दिये प्रकरण कैम्प कोर्ट में रखा जाकर पारित किया गया है, जिसकी समुचित समय में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं हो पायी। अतः अपील प्रस्तुत करने में जो सद्भाविक विलम्ब हुआ है, उसे क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादीगण संख्या दो व तीन के अधिवक्ता तथा राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

वादिनी श्रीमती रामकंवरी की ओर से प्रस्तुत अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में प्रकरण मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर खारिज कर पक्षकार के लिए न्याय-प्राप्ति का मार्ग अवरूद्ध करना न्यायोचित नहीं समझते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

इसी प्रकार अपील प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल माली की ओर से अपील के साथ पेश प्रार्थनापत्र बाबत डिकी पर्चा की प्रमाणितप्रति पेश करने में छूट प्रदान करने न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

गुणावगुण के आधार पर मामले में यह पाया जातां है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 4 अगस्त, 2011, 16 सितम्बर 2011, 14 फरवरी 2012, 3मई 2012, 5 जुलाई 2012, 21 अगस्त 2012, 04 अक्तूबर 2012, 07 नवम्बर 2012, 20 दिसम्बर 2012, 08 जनवरी 2013, 16 जनवरी 2013, 04 अप्रेल 2013 से 11 दिसम्बर 2015 तक की अवधि की 33 आदेशिकाओं, 18 जनवरी 2016 से 7 दिसम्बर 2016 तक की अवधि की 13 आदेशिकाओं एवं 12 अप्रेल 2017 की आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी प्राधिकृत कर्मचारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के हस्ताक्षर नहीं है। इतना ही नहीं, अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने पर यह भी पाया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय में एक ओर जहॉ वादिनी को वादग्रस्त आराजी के 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि जब तक बेचाननामा सक्षम न्यायालय से शून्य एवं प्रभावहीन घोषित नहीं हेा जाता, राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय अपने-आप में विरोधाभासी है।

इन परिस्थितियों में जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष विचाराधीन प्रकरण संजीदगी से कार्यवाही किये बिना मात्र सरसरी तौर पर कार्यवाही करते हुए ही अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी पारित किये गये है। अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी दिनांक 29 मई 2017 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या एक संतोकसिंह दत्तक पुत्र भंवरलाल माली सहित समस्त आवश्यक पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर नियमानुसार विधिक प्रकिया का अनुसरण करते हुए नये सिरे से न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर